



एसपीएमसीआईएल
SPMCIL

एसपीएमसीआईएल अनुकंपा नियुक्ति योजना - 2012
SPMCIL COMPASSIONATE APPOINTMENT SCHEME - 2012

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.
(Wholly Owned by Govt. of India)

निगम कार्यालय
नई दिल्ली
CORPORATE OFFICE
NEW DELHI

"SPMCIL Compassionate Appointment Scheme - 2012"



INDEX

S. NO.	CONTENTS	PAGE NO.
1.	BACKGROUND	1
2.	TITLE	1
3.	OBJECTIVE	1
4.	APPLICABILITY	1
5.	DEFINITIONS	2
6.	CIRCUMSTANCES IN WHICH COMPASSIONATE APPOINTMENTS MAY BE MADE	3
7.	GENERAL CONDITIONS	3
8.	SAVINGS	4

hpe
4/2/13



अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1
2	शीर्षक	1
3	उद्देश्य	1
4	किन पर लागू	1
5	परिभाषाएं	2
6	जिन परिस्थितियों में अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है	3
7	सामान्य शर्तें	3
8	बचाव खंड	4

Janu

"SPMCIL COMPASSIONATE APPOINTMENT SCHEME -2012"

1. BACKGROUND

Consequent upon the Corporatisation of Mints, Presses and Paper Mill w.e.f. 13.1.2006, the Govt. employees have come to the rolls of the SPMCIL w.e.f. 1.11.2008 vide Administrative Ministry's Order dated 29.5.2009. In conformity with Clause No. 29 of Memorandum of Settlement dated 15.9.2008, the Company has decided to put in place a scheme for compassionate appointment for the spouse / legal heirs of the employees dying in harness in addition to the scheme for payment of lump sum compensation in lieu of compassionate appointment notified vide Office Order No. CHO(HR)/Policy/277/08/1994 dated 31.8.2009 as an alternative.

2. TITLE

This Scheme shall be known as "SPMCIL COMPASSIONATE APPOINTMENT SCHEME - 2012" and only those cases shall be considered under the scheme where the death of an employee has taken place while in service on or after the date of notification of the Scheme.

3. OBJECTIVE

The objective of the scheme is to grant appointment on compassionate grounds to a dependent family member of a Company employee dying in harness, leaving his family in penury and without any means of livelihood and to relieve the family of the employee concerned from financial destitution.

4. APPLICABILITY

This scheme shall apply to

- (i) All categories of employees of SPMCIL, who are in regular employment of the Company till the date of death.

h
4/2/13



एसपीएमसीआईएल अनुकंपा नियुक्ति योजना - 2012

1. भूमिका

टकसालों, प्रेसों एवं कागज कारखाने का दिनांक 13.1.2006 से निगमीकरण किए जाने के बाद, दिनांक 1.11.2008 से सरकारी कर्मचारी एसपीएमसीआईएल की नामावली में आ गए, देखें प्रशासनिक मंत्रालय का आदेश दिनांक 29.5.2009 । दिनांक 15.9.2008 के समझौता जापन के खंड क्र. 29 के अनुसरण में कंपनी ने सेवा के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारियों की पत्नी/पति / कानूनी वारिसों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक योजना स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो कि अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त मुआवजे के भुगतान के लिए अधिसूचित की गई योजना, देखें कार्यालय आदेश क्र. CHO(HR)/Policy/277/08/1994 दिनांक 31.8.2009, के अतिरिक्त एक विकल्प के रूप में है ।

2. शीर्षक

इस योजना को "एसपीएमसीआईएल अनुकंपा नियुक्ति योजना - 2012" के नाम से जाना जायेगा तथा इस योजना के तहत केवल उन मामलों पर विचार किया जायेगा जहाँ कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु, योजना अधिसूचित किए जाने की तारीख पर या उसके बाद हुई है ।

3. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य कंपनी के उस कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है तथा संबंधित कर्मचारी के परिवार को वित्तीय अभावों से छुटकारा दिलाना है, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है और जो अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी अन्य साधन के बिना छोड़ जाता है ।

4. किन पर लागू

यह योजना निम्नलिखित पर लागू होगी

- (i) एसपीएमसीआईएल के सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जो मृत्यु की तारीख तक कंपनी की स्थायी सेवा में हैं ।

"SPMCIL Compassionate Appointment Scheme - 2012"



- (ii) However, legal heirs of an employee who has attained the age of 60 years at the time of his death and has not actually retired on account of the provisions of retirement on the last day of the month or any other reason, shall not be eligible for compassionate appointment under the scheme.
- (iii) The appointment on compassionate grounds shall not be applicable, in case any dependent of the deceased employee is gainfully employed in Govt./Semi Govt./Autonomous Body/PSU/Organization listed on Stock Exchange.
- (iv) The appointment on compassionate grounds shall not be applicable, in case legal heirs of the deceased employee have opted for payment of lump sum compensation in lieu of compassionate appointment.

5. DEFINITIONS

- 5.1 'Company' means Security Printing and Minting Corporation of India Limited, (hereinafter referred to as SPMCIL).
- 5.2 'Competent Authority' means Chairman & Managing Director of the Company.
- 5.3 'Employee' includes CMD, Functional Directors, Executives, Supervisors, Staff Members and Industrial Workers of the Company and those on probation but does not include part-time employees, casual employees & fixed tenure contract appointees.
- 5.4 'Dependents' means :-
 Spouse / Children of the employee not gainfully employed in Govt./Semi Govt./Autonomous Body/PSU/Organization listed on Stock Exchange.

Page
4/2/13

एसपीएमसीआईएल अनुकंपा नियुक्ति योजना -2012



- (ii) हालांकि, कर्मचारी जिसकी आयु मृत्यु के समय 60 वर्ष की हो चुकी है और सेवा-निवृत्ति के प्रावधानों के कारण या किसी अन्य कारण से महीने की आखिरी तारीख पर उसकी वास्तविक सेवा-निवृत्ति नहीं हुई है, तो उसके कानूनी वारिस इस योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।
- (iii) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगी यदि मृतक कर्मचारी का कोई आश्रित सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/शेयर बाजार की सूची में सम्मिलित संगठन में लाभप्रद रूप से नियोजित है ।
- (iv) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगी यदि मृतक कर्मचारी के कानूनी वारिसों ने अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त मुआवजे के भुगतान का विकल्प चुना है ।

5. परिभाषाएं

- 5.1. 'कंपनी' से तात्पर्य है भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड ।
(इसके आगे इसे एसपीएमसीआईएल कहा जाएगा)
- 5.2. 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य है कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ।
- 5.3. 'कर्मचारी' में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यरत निदेशक, कार्यपालक, पर्यवेक्षक, स्टॉफ के सदस्य और कंपनी के औद्योगिक कामगार और परिवीक्षा पर कर्मचारी सम्मिलित हैं लेकिन अंशकालिक कर्मचारी, आकस्मिक कर्मचारी और निर्धारित ठेका अवधि पर नियुक्त कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है ।
- 5.4. 'आश्रित' से तात्पर्य है :-

कर्मचारी की पत्नी / पति / बच्चे जो सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक उपक्रम / शेयर बाजार की सूची में सम्मिलित संगठन में लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं हैं ।



6. CIRCUMSTANCES IN WHICH COMPASSIONATE APPOINTMENTS MAY BE MADE

- (i) To the dependent family member of a Company employee dying during the course of employment.
- (ii) Where the family of deceased employee is in an indigent condition and requires urgent relief from financial destitution.

7. GENERAL CONDITIONS

- (i) Compassionate appointment shall be made against Direct Recruitment vacancies in Industrial Cadre at W-1 level (Grade Pay of Rs. 1800/-) and in Staff Cadre at B-3 level (Grade Pay of Rs. 2000/-) categories across any Unit of SPMCIL.
- (ii) These appointments shall be made within a ceiling of 5% of total direct recruitment vacancies arising in a recruitment year.
- (iii) Only such cases shall be considered where the essential qualification for the post to be filled in is fulfilled. Relaxation of age could be considered by the Competent Authority only for the spouse of the deceased employee.
- (iv) The spouse will have the first preference for appointment on compassionate grounds. If the spouse is not fulfilling the requisite qualification or is not willing for compassionate appointment, then the application of the ward shall be considered with the consent of the spouse. In case the spouse is not alive, the request for compassionate appointment can be made by the ward, who is entitled for family pension.

Page
1/2/13



6. जिन परिस्थितियों में अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है

- (i) कंपनी कर्मचारी, जिसकी कंपनी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, के आश्रित सदस्य को ।
- (ii) जहाँ मृतक कर्मचारी का परिवार निर्धन अवस्था में है और उसे तत्काल वित्तीय अभाव से राहत की आवश्यकता है ।

7. सामान्य शर्तें

- (i) एसपीएमसीआईएल की किसी भी इकाई में अनुकंपा नियुक्ति सीधी भर्ती रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी, औद्योगिक संवर्ग में डब्ल्यू-1 स्तर पर (ग्रेड वेतन रु.1800/-) और स्टॉफ संवर्ग में बी-3 स्तर पर (ग्रेड वेतन रु.2000/-) ।
- (ii) ये नियुक्तियाँ किसी भर्ती वर्ष में उत्पन्न होने वाली कुल सीधी भर्ती रिक्तियों की उच्चतम 5% सीमा के अंदर की जायेंगी ।
- (iii) केवल ऐसे मामलों पर विचार किया जायेगा जहाँ भरे जाने वाले पद के लिए अनिवार्य अर्हता पूरी की जाती हो । आयु सीमा में रियायत पर सक्षम प्राधिकारी विचार कर सकते हैं तथा ऐसा केवल मृतक कर्मचारी की पत्नी के लिए किया जायेगा ।
- (iv) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए प्रथम प्राथमिकता पत्नी/पति को दी जायेगी । यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पत्नी/पति अपेक्षित अर्हता पूरी नहीं करता है या इच्छुक नहीं है, तो पत्नी/पति की सहमति के साथ आश्रित के आवेदन पर विचार किया जायेगा । यदि पत्नी/पति जीवित नहीं है, तो आश्रित, जो परिवार पेंशन का हकदार है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुरोध कर सकता है ।



- (v) The application for appointment on compassionate grounds will be considered and kept alive till the applicant decides to opt for lump sum compensation in lieu of compassionate appointment or he/she becomes ineligible for appointment due to other reasons mentioned in the scheme.
- (vi) The appointments on compassionate grounds shall be made centrally by the Corporate Office restricted to 5% of Direct Recruitment Vacancies from the seniority list maintained as per the date of receipt of application in the Unit. For this purpose the Units shall intimate the number of vacancies earmarked for compassionate appointment to Corporate Office and shall not make any appointment against such vacancies at their level.
- (vii) The Units shall scrutinize the applications received for compassionate appointment and send the cases to the Corporate Office with clear recommendations whether penury is established or not.
- (viii) A person appointed on compassionate grounds under the scheme shall give an undertaking in writing that he/she will maintain properly the other family members who were dependent on the Company employee and in case it is proved subsequently (at any time) that the family members are being neglected or are not being maintained properly by him/her, his/her appointment may be terminated forthwith.

8. SAVINGS:

- 8.1 In case of any doubt or dispute regarding interpretation of these rules, the decision of the CMD shall be final.
- 8.2 The Company reserves the right to withdraw the scheme, either permanently or for a limited period.
- 8.3 CMD shall have the right to modify or amend the provisions of the "SPMCIL Compassionate Appointment Scheme - 2012" and such amendments shall be placed before the Board for ratification.

Page
4/2/12

एसपीएमसीआईएल अनुकंपा नियुक्ति योजना -2012



- (v) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन पर विचार किया जायेगा तथा इसे तब तक विचाराधीन रखा जायेगा जब तक आवेदक अनुकंपा नियुक्ति के बदले में एकमुश्त मुआवजे का निर्णय नहीं ले लेता या योजना में उल्लिखित अन्य कारणों से वह नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं हो जाता है ।
- (vi) अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां निगम कार्यालय द्वारा इकाई में आवेदन प्राप्ति की तिथि के क्रम में बनाई गई वरीयता सूची से की जायेंगी तथा ये सीधी भर्ती रिक्तियों के 5% तक सीमित होंगी । इस उद्देश्य के लिए इकाईयां अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई रिक्तियों की संख्या निगम कार्यालय को सूचित करेंगी तथा ऐसी किसी भी रिक्ति के विरुद्ध अपने स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं करेंगी ।
- (vii) इकाईयां अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनो की समीक्षा करेंगी और मामलों को इन स्पष्ट सिफारिशों के साथ निगम कार्यालय को भेज देंगी कि क्या गरीबी सिद्ध की गई है या नहीं ।
- (viii) इस योजना के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को लिखित में वचन देना होगा कि वह कंपनी कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों की, जो कर्मचारी पर आश्रित थे, अच्छी तरह से देखभाल करेगा तथा यदि बाद में (किसी भी समय) यह सिद्ध हो जाता है कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या ठीक तरह से देखभाल नहीं की जा रही है तो उसकी नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकती है ।

8. बचाव खंड :

- 8.1. इन नियमों की व्याख्या से संबंधित किसी संदेह या विवाद की स्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा ।
- 8.2. कंपनी के पास योजना स्थायी रूप से या सीमित अवधि के लिए वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है ।
- 8.3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास "एसपीएमसीआईएल अनुकंपा नियुक्ति योजना-2012" के प्रावधानों में परिवर्तन या संशोधन करने का अधिकार होगा तथा ऐसे संशोधनों को बोर्ड के समक्ष अनुसमर्थन के लिए रखा जायेगा ।
